

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज)**

पीठासीन अधिकारी :- बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 139/2022

**प्रार्थी**

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

**बनाम**

GCMS No. 2022/282

**अप्रार्थीगण**

1. गोपालराम पुत्र खींवाराम जाट अड़कसर
2. झमरीदेवी पत्नी खींवाराम जाट अड़कसर
3. पोकरराम पुत्र रूपाराम जाट अड़कसर
4. भंवरलाल पुत्र खींवाराम जाट अड़कसर
5. रेखाराम पुत्र लाखाराम जाट अड़कसर
6. रिछपाल दत्तक पुत्र रामूराम जाट लालास
7. सोनकी देवी पत्नी रूपाराम जाट लालास

**आदेश**

दिनांक :- 13.8.2022

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक परिशिष्ट-"ए" व मौका पर्चा, एवं अभिशंषा तहसीलदार कुचामनसिटी का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम अड़कसर पटवार मण्डल अड़कसर तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 472, 485, 487 में मौके पर रास्ता चालू है। परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। सम्बन्धित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार कुचामनसिटी ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है एवं अप्रार्थीगण खातेदारान द्वारा सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर सहमति प्रदान की है तथा उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का कथन किया है। इस प्रकार यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम अड़कसर पटवार मण्डल अड़कसर तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 472, 485, 487 में मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में संलग्न नक्शे एवं परिशिष्ट-"ए" व मौका पर्चा में वर्णितानुसार करावें। परिशिष्ट-"ए" व मौका पर्चा नजरी नक्शा आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी पालना कर रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

यह आदेश आज दिनांक 13.8.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



(बाबूलाल जाट)  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (नागौर)